

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीछासीन अधिकारी - विकास मोहन भाटी, R.A.S.

सूचिका संख्या 440/2022

दिनांक 28.11.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. बंटा राम पुत्र बिरमाराम	1. बोटु राम पुत्र तेजाराम
2. जाट निवासी मावा	2. मेघाराम पुत्र तेजाराम
3. तहसील डीडवाना जिला	3. नोयाराम पुत्र तेजाराम
4. नागीर राजग	4. गोविन्दराम पुत्र बिरमाराम
	5. बलदेवाराम पुत्र बिरमाराम
	6. झाबरराम पुत्र भुगानाराम
	7. रामदेवाराम पुत्र भुगानाराम
बना	8. सुखदेवाराम पुत्र आसुराम
म्	9. सोहनराम पुत्र आसुराम
	10. हेमराम पुत्र आसुराम
	11. शिबदान राम पुत्र आसुराम
	12. रिछपाल पुत्र रामबहा
	13. भंवराराम पुत्र रूपाराम समस्त जाति जाट
	निवासीगण मावा तहसील डीडवाना जिला
	नागीर राजग
	14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा ललासरी
	15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित -

1. श्री सतवीर ठोलिया वकील वादी।
2. श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादी सं० 1, 2, 4 ता 13 की ओर से।

--: निर्णय :-

दिनांक 09.01.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद मावा पटवारी हल्का मावा मु०अनि०नि० क्षेत्र दयालपुरा के खेत खसरा सं० 201 रकबा 1.0000 हैक्टे०, खसरा सं० 202 रकबा 0.8900 हैक्टे०, खसरा सं० 239 रकबा 3.2500 हैक्टे०, खसरा सं० 802 रकबा 1.0000 हैक्टे०, खसरा सं० 803 रकबा 0.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 804 रकबा 0.0900 हैक्टे०, खसरा सं० 805 रकबा 3.1100 हैक्टे०, खसरा सं० 895 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 896 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 897 रकबा 2.6700 हैक्टे०, खसरा सं० 898 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 899 रकबा 1.4000 हैक्टे० की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 08.01.2025 को प्राथमिक डिग्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक प०(10)रीडर/2025/320 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर

*Handwritten signature*

बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प. 1(10)रीडर/2025/320 दिनांक 04.07.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

सरहद मावा पटवारी हल्का मावा भू0अभि0नि0 क्षेत्र दयालपुरा के खेत खसरा सं0 201 रकबा 1.0000 हैक्टे0, खसरा सं0 202 रकबा 0.8900 हैक्टे0, खसरा सं0 239 रकबा 3.2500 हैक्टे0, खसरा सं0 802 रकबा 1.0000 हैक्टे0, खसरा सं0 803 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 804 रकबा 0.0900 हैक्टे0, खसरा सं0 805 रकबा 3.1100 हैक्टे0, खसरा सं0 895 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 896 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 897 रकबा 2.6700 हैक्टे0, खसरा सं0 898 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 899 रकबा 1.4000 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(10)रीडर/2025/320 दिनांक 04.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(10)रीडर/2025/320 दिनांक 04.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

*wkas*

(विकास प्रशासन अधिकारी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

*wkas*

(विकास प्रशासन अधिकारी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना